मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्रा. लि.

बनाम

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 5437/2022

1 सितंबर, 2022 को

अभिषेक पुरी, मिस अरूणा गुप्ता, मिस सुरभी गुप्ता, अधिवक्ता अपिलकर्ता की ओर से,

नकुल देवान, वरीय अधिवक्ता, अर्जुन पाल, मिस साधिका गुलाटी, मिस नीलु मोहन, सातविक चन्द्रशेखर, एस. एस. श्राफ–अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश

1 यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 फरवरी 2020 के एक फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा एकल न्यायाधीश के 7 फरवरी 2019 के फैसले के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 19961 की धारा 37 के तहत अपील खारिज कर दी गई है। मूल रूप से, मुद्दा यह है कि क्या मध्यस्थ के पास अधिनियम की धारा 31(7)(बी) के तहत केवल मूल राशि पर निर्णय के बाद ब्याज देने का विवेक है।

तथ्य

27 जनवरी 2003 को, अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने एक समझौता किया जिसके तहत प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से बिल छूट सुविधाओं का लाभ उठाया। अपीलकर्ता ने समझौते के अनुसार 5,00,32,656 रुपये चुकाया । बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवादी को एक नोटिस जारी कर मूल राशि 5,00,32,656 रुपये, अतिदेय ब्याज के साथ रुपये के भुगतान की मांग 17 अप्रैल 2003 को जो कि डिफ़ॉल्ट की तारीख है, की। चूंकि प्रतिवादी ने मांग के अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया, अपीलकर्ता ने समझौते के मध्यस्थता खंड को लागू करते हुए 31 जनवरी 2006 को एक नोटिस जारी किया।

3. एकमात्र मध्यस्थ ने 1 मार्च 2013 को अपीलकर्ता के पक्ष में एक मध्यस्थ पंचाट प्रदान किया। 29 अप्रैल 2013 को पंचाट को सही किया गया और 5,00,32,656 रुपये की राशि में अपीलकर्ता के दावे का फैसला किया गया। (i) डिफॉल्ट की तारीख से मांग नोटिस की तारीख तक इक्कीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया है; (ii) छत्तीस प्रतिशत प्रति वर्ष मासिक तथा अन्य नया बकाया की मांग नोटिस की तारीख से पंचाट की तारीख तक ("पंचाट –पूर्व ब्याज"); और (iii) मूल राशि 5,00,32,656 रुपये पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख तक ("पंचाट के बाद का ब्याज")। पंचाट का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

"उपरोक्त ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 2 दावेदार को 5,00,32,656 रुपये (पांच करोड़ बत्तीस हजार छह सौ छप्पन रुपये मात्र) रुपये की राशि का डिमांड नोटिस की तारीख तक 21% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। डिमांड नोटिस की तारीख यानी 10.01.2006 के बाद, दावेदार मासिक बकाया के साथ 36% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। **इसके अलावा, एस० एल० अरोड़ा में पूर्वोक्त निर्णय के संदर्भ में, दावेदार केवल 5,00,32,656/" रुपये की मूल राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से पंचाट के बाद ब्याज प्राप्त करने का हकदार है।**

(जोर दिया गया)

4. अपीलकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 34 के तहत एक याचिका में मध्यस्थ पंचाट को चुनौती दी गई, जिसमें पंचाट के बाद और पूर्व–अवार्ड दिए जाने पर आपत्तियां उठाई गईं। प्रतिवादी ने भी एक याचिका दायर की। अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि पंचाट के बाद प्रदान की गई कुल राशि पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज दिया जाना चाहिए, जिसमें मूलधन और पंचाट–पूर्व ब्याज दोनों शामिल हैं। 7 फरवरी 2019 के एक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पंचाट के बाद ब्याज देने पर अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। एकल न्यायाधीश ने माना कि मध्यस्थ ने अपने विवेक से पंचाट के बाद के ब्याज को मूल राशि तक सीमित कर दिया था और अदालत विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी:

> एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 26 फरवरी 2020 के एक फैसले द्वारा खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के वकील ने इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा जताया। हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम गवर्नर, उड़ीसा राज्य में और तर्क दिया कि मध्यस्थता पंचाट के तहत भुगतान की जाने वाली राशि पर पंचाट के बाद का ब्याज दिया जाना चाहिए, जिसमें पंचाट –पूर्व ब्याज भी शामिल है। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि हैदर कंसल्टिंग (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हरियाणा राज्य बनाम एस०एल० अरोड़ा का फैसला तब लागू कानून था जब धारा 34 के तहत याचिका दायर की गई थी । उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पाया कि हैदर कंसल्टिंग (सुप्रा) में निर्णय स्पष्ट करता है कि जब मध्यस्थ पंचाट के बाद के ब्याज पर मौन होता है, तो यह प्रदान की गई 'राशि' पर देय होगा, जिसमें मूलधन और पंचाट –पूर्व ब्याज दोनों शामिल होंगे। डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में चूंकि मध्यस्थ पंचाट फैसले के बाद के ब्याज पर चुप नहीं है, इसलिये धारा 31(7)(बी) के प्रावधान) अधिनियम लागू नहीं होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी की अन्य आपत्तियों पर भी निर्णय लिया।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 26 फरवरी 2020 के फैसले को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। 16 जुलाई

2021 को, इस न्यायालय ने पंचाट के बाद के ब्याज के मुद्दे तक सीमित नोटिस जारी किया । आदेश इस प्रकार है:

> "1 जारी नोटिस पंचाट के बाद के ब्याज तक सीमित है। हम पंचाट की तारीख से पहले पंचाट के ब्याज के संबंध में विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं।
>
> 2 मध्यस्थ ने मूल राशि पर पंचाट के बाद 18% की दर से ब्याज देने में, **हरियाणा राज्य बनाम एस०एल० अरोड़ा** में निर्णय को आधार बनाया। **हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य मामले** में एस०एल० अरोड़ा के फैसले को खारिज कर दिया गया था ।
>
> 3. उपरोक्त परिसर को ध्यान में रखते हुए, हम उपरोक्त मुद्दे तक ही सीमित नोटिस जारी करते हैं जिसे आठ सप्ताह में वापस किया जा सकता है।

प्रस्तुतियाँ

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक पुरी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(i) अधिनियम की धारा 31(7) के प्रावधानों और **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, यदि पंचाट पूर्व– ब्याज मूल राशि, मूल राशि के योग और पूर्व पर दिया जाता है । पंचाट ब्याज वह 'राशि' है जिस पर पंचाट के बाद ब्याज दिया जाना चाहिए;

(ii) **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में बहुमत की राय के अनुसार, एक बार अधिनियम की धारा 31(7)(ए) के तहत मूल राशि पर ब्याज पूर्व पंचाट दिया जाता है , तो ब्याज पंचाट ब्याज के रूप में अपना चरित्र खो देता है और अधिनियम की धारा 31(7)(बी) के तहत इसका प्रयोजनों पंचाट पश्चात प्रदान की गई 'राशि' के ब्याज के रंग के रुप में ले लेता है ।

(iii) मध्यस्थता पंचाट ब्याज के घटक पर पंचाट के बाद के ब्याज पर शान्त है। इसलिए, अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 31(7)(बी) के तहत मूलधन और पंचाट – पूर्व ब्याज के योग पर ब्याज की वैधानिक दर का हकदार है ;

(iv) यहां तक कि **एस०एल० अरोड़ा** (सुप्रा) के निर्णय के अनुसार, अधिनियम की धारा 31(7)(बी) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण का विवेक केवल पंचाट के बाद ब्याज की दर के संबंध में था। इस मामले में, मध्यस्थ ने **एस०एल० अरोड़ा** (सुप्रा) के फैसले के मद्देनजर केवल मूल राशि पर पंचाट के बाद ब्याज दिया है;

(v) मध्यस्थ के पास केवल निर्णय के बाद ब्याज दर निर्धारित करने का विवेक होता है। मध्यस्थ के पास उस 'राशि' को निर्धारित करने का विवेक नहीं है जिस पर पंचाट के बाद ब्याज दिया जाना है; और

(vi) यह तर्क कि अधिनियम की धारा 31(7)(बी) उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां मध्यस्थ ने विवेक का प्रयोग करके पंचाट के बाद ब्याज दिया है,

एस०एल० अरोड़ा (सुप्रा) या **हैदर कंसल्टिंग** के निर्णयों से उत्पन्न नहीं होता है । (सुप्रा)।

7 प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

(i) धारा 31(7)(बी) वाक्यांश द्वारा योग्य है "जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देश न दे"। इसलिए, धारा 31(7)(बी) केवल तभी लागू होगी जहां एक मध्यस्थ पंचाट पंचाट के बाद के ब्याज के घटक पर शान्त है;

(ii) अधिनियम की धारा 31(7)(बी) के तहत, मध्यस्थ के पास विवेकाधिकार है (ए) पंचाट के बाद ब्याज देना; (बी) वह मात्रा निर्धारित करें जिस पर पंचाट के बाद ब्याज दिया जाना चाहिए; और (सी) वह दर निर्धारित करें जिस पर ब्याज की गणना की जानी चाहिए; और

(iii) **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ ने एस०एल० अरोड़ा (सुप्रा) को इस हद तक खारिज कर दिया कि बाद के फैसले में कहा गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास ब्याज पर ब्याज देने की शक्ति नहीं है। हालाँकि, **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में, यह नहीं माना गया कि यह अनिवार्य है कि पंचाट के बाद का ब्याज केवल मूलधन और ब्याज पूर्व-पंचाट के योग पर दिया जाना चाहिए।

विश्लेषण

8. धारा 31 "मध्यस्थता पंचाट के स्वरूप और सामग्री" का प्रावधान करती है। विषय-

धारा 31 की धारा 7 पंचाट-पूर्व और पंचाट -पश्चात् ब्याज से संबंधित है। धारा 31(7)(ए) पंचाट-पूर्व ब्याज का प्रावधान करती है, जो कि उस तारीख के बीच की अवधि के लिए है जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पंचाट दिया जाता है। धारा 31(7)(बी) पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख के बीच, पंचाट के बाद ब्याज का प्रावधान करती है। धारा 31(7) इस प्रकार है:

(7) (ए) जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, जहां और जहां तक एक मध्यस्थ पंचाट पैसे के भुगतान के लिए है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस राशि में ब्याज शामिल कर सकता है जिसके लिए पंचाट बनाया गया है, ऐसी दर पर जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पंचाट दिया जाता है, उसके बीच की अवधि के पूरे या किसी हिस्से के लिए, पूरे पैसे या उसके किसी हिस्से पर उचित माना जाता है;

(बी) एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर, जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देशित न हो, पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

(जोर दिया गया)

9.**एस०एल० अरोड़ा** (सुप्रा) में इस अदालत को धारा 31(7) में अभिव्यक्ति 'योग' की व्याख्या करनी थी । इस न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दा तय किया:

> "(i) क्या अधिनियम की धारा 31(7) पंचाट न्यायाधिकरणों को निर्णय की तारीख से ब्याज पर ब्याज देने के लिए अधिकृत और सक्षम बनाती है? "

न्यायमूर्ति आर०वी० रवींद्रन ने दो–न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहा कि धारा 31(7) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पंचाट की तारीख से ब्याज पर ब्याज प्रदान करने में सक्षम नहीं बनाती है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, अदालत ने कहा कि:

(i) धारा 31(7) चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज पर ब्याज के भुगतान का कोई संदर्भ नहीं देती है। वाक्यांश "पंचाट द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि" का तात्पर्य "मौलिक दावों पर राशि" यानी मूल राशि के पंचाट से है। चक्रवृद्धि ब्याज के अनुदान को सक्षम करने वाले प्रावधान के अभाव में, ऐसी शक्ति को पंचाट –पूर्व अवधि या पंचाट – पश्चात अवधि के प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है;

(ii) पंचाट के बाद की अवधि के लिए धारा 31(7)(बी) में अठारह प्रतिशत की उच्च ब्याज दर को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है ताकि पंचाट –देनदार को पंचाट में निर्देशित धन के भुगतान में देरी करने से रोका जा सके;

(iii) धारा 31(7)(ए) मध्यस्थ को ब्याज की दर, वह अवधि जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाना है, और वह मात्रा जिस पर ब्याज दिया जाना है, निर्धारित करने का विवेक प्रदान करता है। हालाँकि, मध्यस्थ की विवेकाधीन शक्ति पार्टियों के बीच अनुबंध के अधीन है। धारा 31(7)(बी) मध्यस्थ को पंचाट के बाद की अवधि के लिए ब्याज देने का विवेक प्रदान करती है। विवेकाधिकार किसी अनुबंध के अधीन नहीं है। यदि मध्यस्थ निर्णय के बाद ब्याज देकर विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो अठारह प्रतिशत का अनिवार्य ब्याज दिया जाएगा; और

(iv) यदि पुरस्कार भुगतान की तारीख तक एक निर्दिष्ट दर पर ब्याज प्रदान करता है, तो अधिनियम की धारा 31(7)(बी) लागू नहीं की जाएगी। धारा 31(7)(बी) केवल तभी लागू की जाएगी जब पंचाट के बाद के ब्याज पर कोई चुप्पी हो।

10. इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ ने **एस०एल० अरोड़ा** (सुप्रा) मामले में निर्णय की सत्यता को तीन–न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में, तीन जजों की बेंच ने **एस०एल० अरोड़ा** (सुप्रा) के फैसले को खारिज कर दिया। तीन अलग–अलग निर्णय लिखे गए। **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में अनुपात निर्णय निर्धारित करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी तीन राय का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाए। न्यायमूर्ति एस०ए० बोबडे ने कहा कि **एस०एल० अरोड़ा** (सुप्रा) का

यह दृष्टिकोण कि पंचाट–पूर्व ब्याज को पंचाट–पश्चात ब्याज की गणना के लिए 'राशि' में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, गलत है:

" 2. **एस०एल० अरोड़ा** केस के निष्कर्ष से सहमत होना संभव नहीं है कि अधिनियम की धारा 31(7) में यह आवश्यक नहीं है कि पंचाट की तारीख तक अर्जित ब्याज को पंचाट के बाद के ब्याज की गणना के लिए पंचाट की तारीख से 'राशि' में शामिल किया जाए। मेरे विनम्र विचार में, यह निष्कर्ष अधिनियम की धारा 31(7) की स्पष्ट भाषा के अनुरूप नहीं लगता है।

" धारा 31(7)(ए) का उल्लेख करते हुए , न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि (i) चूंकि संसद ने 'सम' वाक्यांश को 'प्रिंसिपल' शब्द के साथ योग्य नहीं ठहराया है, (जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 34 में है) 'योग' शब्द केवल धन की एक विशेष राशि का अर्थ लेता है; (ii) 'राशि' में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होंगे; और (iii) जब धारा 31(7)(ए) के तहत मूलधन पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो पूर्व–पंचाट ब्याज और मूलधन को विलय करने के बाद कुल राशि 'योग' होगी, जहां मूलधन के दो घटक होते हैं और रुचि ने अपनी पहचान खो दी होगी। प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

> 7. इस प्रकार, जब संज्ञा के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि इस प्रावधान में उपयोग किया गया लगता है, तो "योग" शब्द का सीधा सा अर्थ है "धन की राशि"; चाहे इसमें "मूलधन" और "ब्याज" या दोनों में से एक शामिल हो । एक बार "राशि" शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर, अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (7) के खंड (बी) में शब्द का वही अर्थ बाताया जाना चाहिए, जहां यह प्रावधान है कि भुगतान की जाने वाली राशि का निर्देश दिया गया है एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा "...ब्याज लिया जाएगा..." पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख यानी पंचाट के बाद तक। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 31 की उप –धारा (7) का खंड (बी) यह निर्देश देता है कि पंचाट द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, चाहे वह ब्याज सहित हो या अलग, पर ब्याज लगेगा। पंचाट के बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष अठारह प्रतिशत की दर से, जब तक कि अन्यथा आदेश न दिया गया हो। [...]
>
> 13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (7) के खंड (ए) के तहत , संसद का इरादा था कि धन के भुगतान के लिए पंचाट में ब्याज और मूलधन की "राशि" शामिल हो सकती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व निर्णय अवधि के लिए राशि और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (7) के खंड (बी) के तहत पंचाट के बाद की अवधी के लिये ऐसी "राशि" पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है– जिस चरण में राशि होगी मूलधन के साथ

ब्याज के विलय के बाद प्राप्त राशि होगी; दोनों घटक अपनी अलग–अलग पहचान खो चुके हैं।"

(जोर दिया गया)

11 न्यायमूर्ति ए०एम० सप्रे ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि पूर्व–निर्णय ब्याज का अनुदान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विवेक पर है; निर्णय के बाद का ब्याज क़ानून द्वारा अनिवार्य है जहां मध्यस्थ के पास केवल ब्याज की दर तय करने का विवेक होता है। अर्थात्, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने किसी विशेष दर पर निर्णय के बाद ब्याज देने के लिए अपने विवेक का उपयोग किया है, तो निर्देशित दर मान्य होगी, अन्यथा, क़ानून में उल्लिखित ब्याज दर लागू होगी। फैसले का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"26. [...] पंचाट –पूर्व ब्याज मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विवेक पर है, जबकि पंचाट –पश्चात ब्याज क़ानून का आदेश है –केवल अंतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले पंचाट की ब्याज दर का है। दूसरे शब्दों में, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने विवेक से किसी विशेष दर पर पंचाट के बाद भुगतान की तारीख तक देय ब्याज का फैसला किया है तो यह मान्य होगा अन्यथा पार्टी पंचाट के बाद के ब्याज का दावा करने की हकदार होगी। अधिनियम की धारा 31(7) के खंड (बी) में निर्दिष्ट वैधानिक दर यानी 18% पर राशि प्रदान की गई । इस प्रकार, समय अवधि और ब्याज अनुदान के इच्छित उद्देश्य में स्पष्ट अंतर है।

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति सप्रे ने 'योग' अभिव्यक्ति के अर्थ पर न्यायमूर्ति बोबडे से सहमति व्यक्त की और कहा कि एक बार जब ब्याज 'योग में शामिल हो जाता है', तो ब्याज और मूल घटक को अलग नहीं किया जा सकता है:

"28. इसलिए, किसी पंचाट के प्रयोजनों के लिए, ब्याज सहित "राशि" और ब्याज रहित "राशि" के बीच कोई अंतर नहीं है। एक बार जब ब्याज "राशि में शामिल" हो जाता है जिसके लिए पंचाट दिया जाता है, तो मूल राशि और ब्याज घटक को अलग नहीं किया जा सकता है और एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं देखा जा सकता है। ब्याज घटक तब "ब्याज" का अपना चरित्र खो देता है और "राशि" का रंग ले लेता है जिसके लिए पंचाट दिया जाता है।

29. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण मूल दावे के लिए कोई राशि नहीं दे सकता है, बल्कि केवल "ब्याज" दे सकता है। ब्याज का यह पंचाट तब स्वयं वह "राशि" बन जाएगा जिसके लिए अधिनियम की धारा 31(7)(ए) के तहत एक पंचाट दिया जाता है। इस प्रकार, पंचाट पूर्व चरण में, कानून प्रदान की गई राशि और उसमें ब्याज घटक के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहता है।

[...]

31. [...] खंड (बी) के तहत ब्याज एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा भुगतान की जाने वाली "राशि" पर दिया जाता है, जिसमें "राशि" खंड (ए) के तहत आने वाली राशि से अधिक कुछ नहीं है"

(जोर दिया गया)

12 मुख्य न्यायाधीश एच०एल० दत्तू का अपनी असहमतिपूर्ण राय में यह कहना था:

(i) धारा 31(7)(ए) में वाक्यांश 'योग' आम बोलचाल में 'धन' को संदर्भित करता है। धारा 31(7)(ए) में कहा गया है कि ब्याज 'राशि' पर दिया जा सकता है, जिसका अर्थ उस धन पर दिया जाने वाला ब्याज होगा जिसके लिए मध्यस्थ पंचाट दिया गया है। इसलिए, राशि का तात्पर्य दी गई 'मूलधन' राशि से है;

(ii) खंड (बी) में प्रयुक्त वाक्यांश 'योग' का प्रयोग खंड (ए) के समान संदर्भ में किया गया है। इसलिए, खंड (बी) में 'योग' वाक्यांश का अर्थ 'मूल' राशि भी है; और

(iii) धारा 31(7) (बी) में 'जब तक पुरस्कार अन्यथा निर्देश न दे" शब्दों का अर्थ यह होगा कि यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण पंचाट के बाद ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देता है, तो धारा 31(7)(बी) लागू नहीं होगी। परिणाम यह है कि भले ही पंचाट यह निर्देश देता है कि पंचाट के बाद कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, खंड (बी) को लागू नहीं किया जा सकता है। असहमति में टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

" 81. [...] उक्त खंड "जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देश न दे", वाक्यांश का उपयोग करता है जिसका अर्थ यह होगा कि उस स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण, अपने पंचाट में, इस दूसरे चरण में ब्याज लगाने का प्रावधान करता है जैसा कि परिकल्पित है विषय– 1996 अधिनियम की धारा 31 की धारा (7) , खंड (बी) अनुपयुक्त हो जाएगी। उक्त पंचाट के द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास पंचाट के बाद की अवधि के लिए ब्याज दर लगाने की शक्ति है जो अधिक या कम हो सकती है खंड (बी) के तहत निर्धारित होगी । भले ही पंचाट में कहा गया हो कि पंचाट के बाद की अवधि में कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा, खंड (बी) लागू नहीं किया जा सकता.

82. यदि मध्यस्थ पंचाट इस सवाल पर मौन है कि क्या पंचाट के बाद कोई ब्याज होगा, केवल उस स्थिति में खंड (बी) को लागू किया जा सकता है। उक्त स्थिति में, कानून के अनुसार यह अनिवार्य होगा कि पंचाट पर पंचाट की तिथि से भुगतान की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जा सकता है। दिए गए खंड में प्रयुक्त शब्द "करेगा" है, इसलिए, यदि लागू हो, तो खंड (बी) के अनुसार ब्याज लगाना अनिवार्य होगा।

13. प्रतिवादी का तर्क यह है कि धारा 31(7)(बी) को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब मध्यस्थता पंचाट निर्णय के बाद के ब्याज पर मौन हो। अर्थात्, यदि पंचाट पंचाट –पश्चात ब्याज के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है, तो अधिनियम की धारा 31(7)(बी) के मद्देनजर , पंचाट –पश्चात अठारह प्रतिशत ब्याज का भुगतान 'राशि' पर किया जाएगा। किस उद्देश्य के लिए 'राशि' मूलधन और पंचाट–पूर्व ब्याज का योग होगी। श्री

नकुल दीवान का तर्क यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास यह निर्धारित करने का विवेक है– क) क्या पंचाट के बाद ब्याज दिया जाना चाहिए; बी) वह 'राशि' जिस पर पंचाट के बाद ब्याज दिया जाना है; और ग) ऐसे ब्याज की दर.

14. धारा 31(7)(बी) की व्याख्या में दो वाक्यांशों के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना है – पहला, अभिव्यक्ति "योग"; और दूसरा, "जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देश न दे"। वाक्यांश 'राशि' की व्याख्या न्यायमूर्ति बोबडे की राय में और **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में न्यायमूर्ति सप्रे की सहमति से की गई है, जिसका अर्थ धारा 31(7)(ए) के अनुसार एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा भुगतान की जाने वाली निर्देशित राशि है , जिसमें मूलधन और पंचाट –पूर्व ब्याज का योग शामिल होगा। जबकि न्यायमूर्ति सप्रे का विचार था कि मध्यस्थ के पास केवल पंचाट के बाद के ब्याज की दर निर्धारित करने का विवेक है, न्यायमूर्ति बोबडे ने पंचाट के बाद ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए मध्यस्थ के विवेक के दायरे पर स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की। न्यायमूर्ति बोबडे की राय में, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या मध्यस्थ के पास धारा 31(7)(ए) के तहत आने वाली 'राशि' के एक हिस्से पर फैसले के बाद ब्याज देने का आदेश देने का विवेकाधिकार था ।

15. 'जब तक पंचाट अन्यथा निर्देश न दे' शब्दों की व्याख्या पर, न्यायमूर्ति सप्रे ने उनकी व्याख्या इस तरह की कि पंचाट के बाद का ब्याज एक वैधानिक आदेश है और मध्यस्थ के पास केवल दिए जाने वाले ब्याज की दर निर्धारित करने का विवेक है। न्यायमूर्ति बोबडे ने विशेष रूप से इस वाक्यांश की व्याख्या नहीं की, जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देश न दे। विद्वान न्यायाधीश ने फैसले के पैराग्राफ 7 में वाक्यांश का संदर्भ दिया, जहां उन्होंने देखा कि "दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (7) का खंड (बी) क्या निर्देश देता है कि " योग ", जिसे पंचाट द्वारा भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, चाहे ब्याज शामिल हो या अलग पंचाट के बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा, जब तक कि अन्यथा आदेश न दिया जाए।" हालाँकि, फैसले के पैराग्राफ 13 में, विद्वान न्यायाधीश ने कहा, "इसके बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण धारा 31 की उप–धारा (7) के खंड (बी) के तहत पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए ऐसी 'राशि' पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है । अधिनियम किस स्तर में मूलधन के साथ ब्याज के विलय के बाद प्राप्त राशि होगी; दोनों घटक अपनी अलग–अलग पहचान खो चुके हैं।"

16. न्यायमूर्ति बोबडे की राय के पैराग्राफ 13 में 'ब्याज को निर्देशित किया जा सकता है' शब्दों के उपयोग का अर्थ यह लगाया जा सकता है कि मध्यस्थ के पास निर्णय के बाद ब्याज न देने का निर्णय लेने का विवेक है या मध्यस्थ के विवेक को मान्यता देने के रूप में मूलधन और पूर्व–पंचाट ब्याज के योग पर ब्याज देना है या नहीं। ऊपर दी गई टिप्पणियों में कुछ भी निर्णय के बाद ब्याज देने में मध्यस्थ के विवेक को सीमित नहीं करता है। इस निष्कर्ष को हैदर कंसल्टेंसी (सुप्रा) में तय किए गए मुद्दे से और भी मजबूती मिली है, जहां न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या एस०एल० अरोड़ा (सुप्रा) में निष्कर्ष इस हद तक सही है कि यह मानता है कि पंचाट के बाद कुल राशि पर ब्याज नहीं

दिया जा सकता है। मूलधन और पंचाट–पूर्व ब्याज का योग न्यायमूर्ति बोबडे की राय के अंतिम पैराग्राफ में, यह देखा गया है कि एसएल अरोड़ा (सुप्रा) का निर्णय गलत था:

> " 24. परिणाम में, मेरा विचार है कि एस०एल० अरोड़ा मामले में गलत निर्णय लिया गया है क्योंकि यह मान ा है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि और मूल दावे पर पंचाट का संदर्भ लंबित ब्याज का संदर्भ नहीं देता है यह पंचाट "अवार्ड पर भुगतान की जाने वाली निर्देशित राशि" पर दिया गया है और अनुबंध में ब्याज पर ब्याज के किसी भी प्रावधान के अभाव में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ब्याज पर ब्याज या पूर्व के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देने की शक्ति नहीं है। पंचाट अवधि या पंचाट के बाद की अवधि के लिए संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने और यह प्रावधान करने की निस्संदेह शक्ति है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण पंचाट द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज दे सकता है, जिसका अर्थ है मूल राशि और ब्याज सहित राशि, और यह संसद द्वारा स्पष्ट भाषा मे किया गया है ।"

> 17. **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में निर्णय सीमित मुद्दे पर था कि क्या मूलधन और पंचाट पूर्व ब्याज के योग पर पंचाट के बाद ब्याज दिया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायमूर्ति बोबडे द्वारा लिखी गई राय पंचाट के बाद की रुचि के इस पहलू तक ही सीमित थी। न्यायमूर्ति सप्रे की सहमति से यह माना गया कि मध्यस्थ के पास केवल निर्णय के बाद ब्याज की दर निर्धारित करने का विवेक है। इसलिए, यह मुद्दा कि क्या मध्यस्थ कुल राशि के एक हिस्से पर पंचाट के बाद ब्याज दे सकता है, हैदर कंसल्टिंग (सुप्रा) में बहुमत का हिस्सा बनने वाली राय निर्णायक रूप से तय नहीं हुई थी।

18. हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम की धारा 31(7)(बी) में वाक्यांश 'जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देशित न हो' केवल मध्यस्थ को ब्याज दर या ब्याज दर और 'राशि दोनों' निर्धारित करने का विवेक प्रदान करता है। 'इसके विरुद्ध भुगतान किया जाना चाहिए। इस समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों खंड (ए) और (बी) योग्य हैं। जबकि, खंड (ए) मध्यस्थता समझौते द्वारा योग्य है, खंड (बी) मध्यस्थता पंचाट द्वारा योग्य है। हालाँकि, वाक्यांशों का स्थान उनकी व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। शब्द, "जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" खंड (ए) की शुरुआत में आता है जो पूरे प्रावधान को योग्य बनाता है। हालाँकि, खंड (बी) में, शब्द, "जब तक कि पंचाट अन्यथा निर्देश न दे" शब्दों के बाद आता है 'एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान किया जाएगा' और शब्दों से पहले 'अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा" . इस प्रकार, वे शब्द केवल पंचाट–पश्चात ब्याज की दर को योग्य बनाते हैं।

19. धारा 31(7)(ए) पूर्व –निर्णय ब्याज के अनुदान के संबंध में मध्यस्थ को व्यापक विवेक प्रदान करती है। मध्यस्थ के पास उचित ब्याज की दर, वह राशि जिस पर ब्याज का भुगतान किया जाना है, यानी पूरी मूल राशि या उसके किसी हिस्से पर, और वह अवधि जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाना है, निर्धारित करने का विवेक है। –

क्या यह कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख और पंचाट की तारीख के बीच की अवधि के पूरे या किसी हिस्से के लिए होना चाहिए। जब पूर्व–निर्णय ब्याज के अनुदान के संबंध में मध्यस्थ को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, तो यह मान लेना वैधानिक व्याख्या के विरुद्ध होगा कि विधायी इरादा बाद के अनुदान के लिए मध्यस्थ की विवेकाधीन शक्ति को कम करना था। खंड (बी) के तहत पंचाट ब्याज. खंड (बी) केवल उस स्थिति पर विचार करता है जहां मध्यस्थता पंचाट पंचाट के बाद के ब्याज पर चुप है, ऐसी स्थिति में पंचाट धारक अठारह प्रतिशत के पंचाट के बाद के ब्याज का हकदार है।

20. मध्यस्थ के पास निर्णय के बाद ब्याज देने का विवेकाधिकार है। खंड (बी) पंचाट के बाद ब्याज देने के मध्यस्थ के विवेक को बाधित नहीं करता है। यह केवल उस स्थिति पर विचार करता है जिसमें मध्यस्थ द्वारा विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए, 'योग' के अर्थ पर **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) की टिप्पणियां पंचाट के बाद ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के विवेक को प्रतिबंधित नहीं करेंगी। प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निर्णय के बाद ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के विवेक को प्रतिबंधित करता है जिसे मध्यस्थ अन्यथा अपने अधिकार में निहित रखता है।

21. पंचाट के बाद ब्याज देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचाट–देनदार पंचाट के भुगतान में देरी नहीं करता है. मध्यस्थता के प्रसार के साथ, उच्च और निम्न वित्तीय निहितार्थ वाले मुद्दों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है। मध्यस्थ ब्याज देने से पहले विभिन्न कारकों जैसे पंचाट–देनदार की वित्तीय स्थिति और विवाद में पार्टियों की परिस्थितियों पर ध्यान देता है। मध्यस्थ के विवेक को केवल उस आशय के स्पष्ट प्रावधान द्वारा ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। खंड (ए) मध्यस्थ पंचाट के लिए पूर्व–निर्णय ब्याज के अनुदान पर मध्यस्थ द्वारा विवेक के प्रयोग का विषय है। हालाँकि, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मध्यस्थ द्वारा निर्णय के बाद ब्याज देने के विवेक के प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो। मध्यस्थ को अच्छे विश्वास में विवेक का प्रयोग करना चाहिए, प्रासंगिक और अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखना चाहिए, और आसपास की परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उचित और तर्कसंगत रूप से कार्य करना चाहिए।

22 उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

(i) **एस०एल० अरोड़ा** (सुप्रा) में दो–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में तीन–न्यायाधीशों की पीठ को इस सवाल पर भेजा गया था कि क्या मूलधन के कुल योग पर पंचाट के बाद ब्याज दिया जा सकता है और अधिनियम की धारा 31(7)(ए) के तहत पंचाट–पूर्व ब्याज की गणना की गई ;

(ii) **हैदर कंसल्टिंग** (सुप्रा) में न्यायमूर्ति बोबडे की राय में कहा गया कि मध्यस्थ मूलधन और पूर्व–निर्णय ब्याज के योग पर पंचाट–पश्चात ब्याज दे सकता है। राय में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई कि क्या मध्यस्थ धारा 31(7)(ए) के तहत दी गई 'राशि' के एक हिस्से पर पंचाट के बाद ब्याज देने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकता है ;

(iii) धारा 31(7)(बी) में वाक्यांश 'जब तक पंचाट अन्यथा निर्देशित न हो' केवल ब्याज दर को योग्य बनाता है;

(iv) धारा 31(7)(बी) के अनुसार , यदि मध्यस्थ पद नहीं देता है–

पंचाट ब्याज, पंचाट धारक अठारह प्रतिशत पर पंचाट पश्चात ब्याज का हकदार है;

(v) धारा 31(7)(बी) निर्णय के बाद ब्याज देने में मध्यस्थ के विवेक को बाधित या प्रतिबंधित नहीं करती है। मध्यस्थ के पास राशि के एक हिस्से पर निर्णय के बाद ब्याज देने का विवेक होता है;

(vi) मध्यस्थ सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित और अच्छे विश्वास के साथ ब्याज देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए–

(vii) 29 अप्रैल 2013 के मध्यस्थ पंचाट द्वारा, एस०एल० अरोड़ा (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर मूल राशि पर अठारह प्रतिशत का ब्याज दिया गया था। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मध्यस्थ के पास 'राशि' के एक हिस्से पर निर्णय के बाद ब्याज देने का विवेक है; हैदर कंसल्टिंग (सुप्रा) में व्याख्या के अनुसार 'योग'। मूल राशि पर निर्णय के बाद ब्याज देने वाले मध्यस्थ के फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं होती है।

23. ऊपर बताए गए कारणों से, दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 फरवरी 2020 के फैसले के खिलाफ अपील खारिज की जाती है।

24. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

Sindhu Nath Lamay अपील खारिज